न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 227 / प्रा0पत्र / 2024

दायरा दिनांक :—27.09.2024

1. मोहम्मद सलीम खा आ0 अल्लाबक्श जाति मुसलमान निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नफीसा बेगम पुत्री अल्लाबक्श पत्नी मकसूद जाति मुसलमान निवासी पेंच की बावडी हाल निवासी मदार टेकरी कुन्दन नगर साहब अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

दिनांक :— 30 / 06 / 2025

संशोधित निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 167 खसरा संख्या 201, 202, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3715 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 4 खसरा संख्या 205, 599, 600, 601, 502, 603, 604, 607, 608, 609 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0792 हैक्टेयर वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता अल्लाबक्ष जी थे, जिनके शरीफ व बेबी नाम के कोई पुत्री व पुत्री नही थे, प्रार्थीगण को बाल्यकाल अवस्था में शरीफ व बेबी के नाम से घर पर पुकारते थे, इसी कारणवश पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के पिताजी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 29.12.2010 खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी मोहम्मद सलीम खान के स्थान पर शरीफ व प्रार्थीया नफीसा बेगन के स्थान पर बेबी का इन्द्राज कर दिया, इसलिए उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र बैक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेन कार्ड में प्रार्थीगण का नाम मोहम्मद सलीम खान व नफीसा बेगम दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम शरीफ व बेबी दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमियों पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। प्रार्थीगण का नाम मोहम्मद

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

सलीम खान व नफीसा बेगम है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी मोहम्मद सलीम खान व नफीसा बेगम ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज किया जाकर शरीफ व बेबी के स्थान पर मोहम्मद सलीम खान व नफीस बेगम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 10. 07.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम शरीफ व बेबी के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर मोहम्मद सलीम खान व नफीस बेगम दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम मोहम्मद सलीम खान व नफीसा बेगम दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र की श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 167 खसरा संख्या 201, 202, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3715 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 4 खसरा संख्या 205, 599, 600, 601, 502, 603, 604, 607, 608, 609 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0792 हैक्टेयर वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम शरीफ व बेबी के इन्द्राज को दुरूस्त कर शरीफ के स्थान पर मोहम्मद सलीम खान व बेबी के स्थान नफीसा बेगम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :— राजस्व/25/403 दिनांक :—12.02. 2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पेंच की बावडी की भूमि खसरा संख्या 201, 202, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 में प्रार्थीगण का नाम बेबी पुत्र अल्लाबक्ष व शरीफ पुत्र अल्लाबक्ष दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके संबंध में मजमा—ए—आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/सहखातेदारों को उक्त खसरा नम्बरों में दर्ज शरीफ पुत्र अल्लाबक्ष व मो0 सलीम खान पुत्र अल्लाबक्ष एक ही व्यक्ति है व बेबी पुत्री अल्लाबक्ष व नफीसा बेगम पुत्री अल्लाबख एक ही महिला के नाम है। जिनको शरीफ के स्थान पर मो0 सलीम व बेबी के स्थान नफीसा बेगम दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम मो0 सलीम व नफीसा बेगम है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार .कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड, जॉब कार्ड व बैंक डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण का नाम मो0 सलीम व नफीसा बेगम दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम पेच की बावडी पटवार मण्डल पेच की बावडी के खाता संख्या खाता संख्या 167 खसरा संख्या 201, 202, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3715 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 4 खसरा संख्या 205, 599, 600, 601, 502, 603, 604, 607, 608, 609 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0792 हैक्टेयर वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच में दर्ज शरीफ पुत्र अल्लाबक्ष के स्थान पर मो0 सलीम पुत्र अल्लाबक्ष व बेबी पुत्री अल्लाबक्ष के स्थान पर नफीसा बेगम पुत्री अल्लाबक्ष शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446